संख्या-468/2025/3049/22-2-2022-17(1736)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 मई 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), निवासी जनपद-हमीरपुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-23650/प्रोवेशन-6/214, दिनांक 20.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), मो0 गुरगुज, थाना-सुमेरपुर, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 21.05.2002 को कु0 काजल उम्र 05 वर्षीय अवोध बच्ची (काजल) के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-111/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1, हमीरपुर के आदेश दिनांक 05.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक अपरिहार 20 वर्ष, 00 माह 29 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 05 माह 26 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी द्वारा लड़की के साथ निमर्मता पूर्वक बलात्कार कर उसकी हत्या करना, घृणित एवं जघन्य व स्त्री जाति के व्यक्तित्व के विरूद्ध ही नहीं अपितु समग्र समाज के विरूद्ध किया गया अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा एवं जनहित प्रभावित होगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 व शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018 दिनांक-28.07.2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी) की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे कांछी (बन्दी संख्या-340/21) पुत्र श्री गंगा प्रसाद कांछी (गंगा प्रसार कांछी), निवासी जनपद-हमीरपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-468/2025/3049(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।